रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2010/पौष 24, 1931
No. 24] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2010/PAUSA 24, 1931

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2010

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2010

सं. भारारापा/11011/09/2009-एच.आर. I.—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 2010 कहलाए जाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियमावली, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है) की अनुसूची में निम्नलिखित पदों के लिए पात्रता मानदण्ड और योग्यताएं निर्धारित करते हुए अनुसूचियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"उप महाप्रबंधक (विधिक)
प्रबंधक (विधिक)"

3. मूल विनियम की अनुसूची में कॉलम 1 में, महाप्रबंधक (विधि) के पद के सामने, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"पद का नाम
1
महाप्रबंधक (विधिक)"

के. एस. मणि, सदस्य (प्रशासन)

[विज्ञापन III/4/122/09-असा.]

स्पष्टीकरण ज्ञापन : इस संशोधन की अधिसूचना से पहले, कर ली गई अथवा करने से लोप हो गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआई-12011/1/95-प्रशा. तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और इसमें गत संशोधन अधिसूचना संख्या भारारापा/11012/147/2009-एचआर. I तारीख 23 नवम्बर, 2009 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 तारीख 25 नवम्बर, 2009 में किया गया था।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/ वेतनमान (रुपये में)	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
उप महाप्रबंधक (विधिक)	2 (2009)	समूह-क	श्रेणी वेतन 7600/- रुपये के साथ पीबी-3 (15600-39100/- रुपये)	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती के मामले में
6	7	8
45 वर्ष	**शैक्षिक योग्यता** **अनिवार्य :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री। **वांछनीय** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर की डिग्री। **अनुभव** विधिक/विधायी के क्षेत्र में कम से कम नौ वर्षों का अनुभव तथा ठेका और माध्यस्थम/दावों संबंधी विधिक दायित्वों के संबंध में पूर्णतः दक्ष।	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक नियमित आधार पर प्रबंधक (विधिक) का पद धारण करने वाले तथा कॉलम 7 में निर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता और अनुभव वाले उम्मीदवारों में से पदोन्नति के द्वारा। अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उद्यमों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधीन कार्यरत अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा:- (i) वेतनमान पीबी-3 (15600-39100/-रुपये) और श्रेणी वेतन 7600/-रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में सदृश पद पर नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी; अथवा (ii) वेतनमान पीबी-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 6600/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) के वेतनमान वाले पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; और जिनके पास कॉलम 7 में निर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** सामान्यतः 4 वर्ष किंतु इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया/घटाया जा सकेगा ।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन/ वेतनमान (रुपये में)	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
प्रबंधक (विधिक)	4 (2009)	समूह-क	श्रेणी वेतन 6600/-रुपये के साथ पीबी-3 (15600-39100/-रुपये)	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के संबंध में)	अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती के मामले में
6	7	8
40 वर्ष	**शैक्षिक योग्यता** **अनिवार्य :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री। **वांछनीय** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर की डिग्री। **अनुभव** विधिक/विधायी के क्षेत्र में कम से कम छह वर्षों का अनुभव तथा ठेका और माध्यस्थम/दावों संबंधी विधिक दायित्वों के संबंध में पूर्णतः दक्ष।	केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उद्यमों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधीन कार्यरत अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा:- (i) वेतनमान पीबी-3 (15600-39100/-रुपये) और श्रेणी वेतन 6600/-रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) में सदृश पद पर नियमित आधार पर कार्यरत अधिकारी; अथवा (ii) वेतनमान पीबी-3 (15600-39100 रुपये) और श्रेणी वेतन 5400/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) के वेतनमान वाले पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; अथवा (iii) वेतनमान पीबी-2 (9300-34800 रुपये) और श्रेणी वेतन 4800/- रुपये (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति) के वेतनमान वाले पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा वाले अधिकारी; और जिनके पास कॉलम 7 में निर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो । **प्रतिनियुक्ति की अवधि** सामान्यतः 3 वर्ष किंतु इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया/घटाया जा सकेगा ।

THE NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2010

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2010

No.NHAI/11011/09/2009-HR.I. – In exercise of the powers conferred by section 35, read with section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely: -

1. (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), the Schedules prescribing the eligibility criteria and qualifications for the following posts shall be inserted; namely:-

"Deputy General Manager (Legal)
Manager (Legal)"

3. In the Schedule to the principal regulations, against the post of General Manager (Law), in column 1, for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Name of the post
1
General Manager (Legal)"

K. S. MONEY, Member (Administration)

[ADVT-III/4/122/09-Exty.]

Explanatory Memorandum: Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

Foot Note: The principal regulations were published vide notification No.NHAR/12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No.NHAI/11012/147/2009-HR.I, dated 23rd November, 2009, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III – Section 4, dated the 25th November, 2009.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale (in Rs.)	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Deputy General Manager (Legal)	2 (2009)	Group A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.7600	Promotion / Deputation / Direct Recruitment

Age limit (in respect of direct recruit only)	Educational and other qualifications required	In case of Promotion / Deputation / Direct Recruitment
6	7	8
45 years	**Educational Qualification** **Essential:** A Degree in Law from a recognized University. **Desirable:** Master's Degree in Law from a recognized University. **Experience** At least nine years experience in the field of Law/Legislative matters and well versed in legal obligations relating to contractual matters and arbitrations/ claims.	By promotion from amongst departmental candidates holding the post of Manager (Legal) on a regular basis in NHAI for a period of at least 3 years and possessing the educational qualifications and experience stipulated in column 7. OR By deputation / direct recruitment from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies: (i) holding analogous post in the pay scale of PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.7600 (in CDA pattern) on regular basis; or (ii) with three years of regular service in the post carrying the pay scale of PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.6600 (in CDA pattern); and Possessing the educational qualifications and experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Normally 4 years but may be extended/ curtailed with the approval of Competent Authority.

Name of post	No. of post	Classification of post	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale (in Rs.)	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Manager (Legal)	4 (2009)	Group A	PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.6600	Deputation / Direct Recruitment

Age limit (in respect of direct recruit only)	Educational and other qualifications required	In case of Deputation / Direct Recruitment
6	7	8
40 years	**Educational Qualification** **Essential:** A Degree in Law from a recognized University. **Desirable:** Master's Degree in Law from a recognized University. **Experience** At least six years experience in the field of Law/Legislative matters and well versed in legal obligations relating to contractual matters and arbitrations/ claims.	By deputation / direct recruitment from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies: (i) holding analogous post in the pay scale of PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.6600 (in CDA pattern) on regular basis; or (ii) with three years of regular service in the post carrying the pay scale of PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.5400 (in CDA pattern); or (iii) with six years of regular service in the post carrying the pay scale of PB-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay Rs.4800 (in CDA pattern); and Possessing the educational qualifications and experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Normally 3 years but may be extended/ curtailed with the approval of Competent Authority.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.